न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3584/2003/अजमेर

1— गोकुल पुत्र गोपी

2— हरजी पुत्र गोपी

3— हंगामा पुत्र गोपी

4— नानू पुत्र गोपी

समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम ढाल तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

—अपीलांटस

बनाम

1— हेनरी पुत्र भींया मृतक जरिए वारिसानः—

1/1— विनयचंद पुत्र हेनरी

1/2— हजारी पुत्र हेनरी

1/3— ऊषा पुत्री हेनरी

1/4— सुधीर उर्फ रिन्कू पुत्र हैक्टर पौत्र हेनरी

1/5— संगीता पुत्री हैक्टर पौत्री हेनरी

समस्त निवासी ग्राम आशापुरा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

2— जेम्स पुत्र जोनाथान

3— अन्तोन पुत्र जोनाथान

4— चार्ली पुत्र जोनाथान

समस्त जाति ईसाई निवासी ग्राम आशापुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

5— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0

श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3584/2003/अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 09.10.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 176/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 हेनरी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 320 खसरा संख्या 119 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि ग्राम ढाल का खातेदार काश्तकार था तथा यह भूमि वादी को राजपूताना प्रेस बिटेरियन मिशन, अजमेर द्वारा दिनांक 20.10.56 को बख्शीशनामे के जरिए प्रदान की गई थी। यह भूमि वर्किंग जमाबंदी में खसरा संख्या 198 में जोनाथन पुत्र सरदारा के नाम अंकित कर दी गई, इस कारण वादी को खसरा संख्या 119 की भूमि का खातेदार घोषित किया जावें एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जावें तथा प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित विक्रय अभिलेख को शून्य घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.96 द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2003 द्वारा खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण करते हुए

राजस्व अभिलेख की प्रविष्ठियों को बिना किसी सक्षम साक्ष्य के गलत मानकर पूर्व जमाबंदी के आधार पर जो निर्णय प्रदान किया है, वह पूर्णतया विधि विपरीत निर्णय है तथा अपीलीय न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देकर अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। दोनों अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा उनकी खातेदारी में अंकित भूमि, जो उनके द्वारा विधिवत् रूप से अभिलिखित खातेदार से क्रय की गई थी, किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार इस प्रकार की डिक्री स्थापित विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया जाना संभव नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 हेनरी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया, उसमें जो अभिवचन अंकित किए, उसके आधार पर उक्त वाद किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है तथा जो अनुतोष वादी द्वारा चाहा गया तथा जो निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई, वह पुराने नंबर बाबत् प्रदान की गई थी जबकि उक्त नंबर वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, न ही वादी ने संदेह से परे अपने प्रकरण को किसी प्रकार से साबित किया था । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 19.12.2001 से वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त पूर्णतया साबित है। इसके विपरीत वादी द्वारा वाद पत्र में स्वयं का कब्जा होना कथन किया गया जबकि भौतिक रूप से वादी कभी भी भूमि पर काबिज नहीं रहा है तथा अपीलार्थीगण जो भूमि के कब्जे काश्त में है, उक्त भूमि बाबत् किसी प्रकार से घोषणा व निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, न ही वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगान दिया जाना साबित कराया, क्योंकि उसके द्वारा प्रस्तुत लगान रसीदों को ढालबाछ से मिलान नहीं करवाया गया, इस प्रकार अपीलार्थीगण के विधिवत् भूमि पर कृषि कार्य किए जाने के तथ्य तथा वर्तमान में कब्जा काश्त होने के तथ्य को नजरअंदाज कर दोनों अधी0न्याया0 ने अत्यंत ही अवैधानिक तरीके से विधिविरूद्ध जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मूल्यवान प्रतिफल देकर भूमि के अभिलिखित खातेदार से क्रय की गई थी तथा बिना किसी आधार के बिना न्यायालय से विक्रय पत्र को निरस्त कराएं, राजस्व न्यायालय में प्रकरण किसी भी तरह संधारण योग्य नहीं था, इसके बावजूद दोनों अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना कारित करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहते

न तो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया ना ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा बेचानकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को अभिलेख पर लेने से इंकार कर, प्रकरण का निर्णय किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने संवत् 2024 से 2027 की जिस जमाबंदी तथा मिलान क्षेत्रफल पर विश्वास कर अपना निर्णय आधारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण इंद्राज थे तथा पृथक–पृथक खातों में विभाजित भूमि पर ध्यान नहीं देकर प्रकरण में नए बने नंबर बाबत् समुचित मिलान नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समुचित विवेचन किए बिना ही, अपील को मियाद बाहर मानकर निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया, जबकि प्रकरण के तथ्य तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह पूर्णतया साबित था कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पूर्णतया स्वीकार किए जाने योग्य था, इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है, जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2003 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.96 को निरस्त किया जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में आगे तर्क दिया कि अपीलांटस को विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रारंभ से ही रही है तथा अपीलांटस इस प्रकरण में प्रारंभ से ही लापरवाह रहे है न तो उन्होंने अधी0न्याया0 के समक्ष अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया और ना ही वाद के निर्णय के उपरांत समय रहते कोई कार्यवाही की गई है। अपीलांटस के विक्रेता इस भूमि के खातेदार गलत रूप से दर्ज हुए हैं, जोनाथन के नाम राजस्व रिकार्ड में यह भूमि किस आधार पर दर्ज हुई इसे साबित नहीं करवाया गया है। राजस्व रिकार्ड में जोनाथन का नाम गलत दर्ज हुआ है एवं उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिसों के नाम विरासत भी गलत दर्ज हुई है । इस आधार पर जोनाथन को अपीलांटस को यह भूमि विक्रय करने का कोई

अधिकार नहीं था। उनके द्वारा प्रस्तुत लगान की रसीदों से उनका कब्जा साबित है इस आराजी के अतिरिक्त उनकी ओर कृषि भूमियां नहीं है। जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में वादी हेनरी इस आराजी का रिकार्डेड खातेदार था तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के राजस्व रिकार्ड से उसका नाम नहीं हटाया जा सकता था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् निर्णय पारित किया था जो विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी हेनरी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम ढाल तहसील नसीराबाद में स्थित है, के खाता नंबर 320 के खसरा नंबर 119 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पूर्व के खसरा नंबर 106 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी व पूर्व खसरा नंबर 107 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बना है । वर्तमान भू—प्रबंध विभाग ने उक्त खसरा नंबर 119 के तीन नवीन खसरा नंबर 198 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 199 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नंबर 200 रकबा 1 बिस्वा कुल 3 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी में विभक्त किया तथा राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 01.12.1988 के द्वारा वर्किंग जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है । उक्त गलत इंद्राज की आड़ में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 31.12.1988 को बेनामे से प्रतिवादी संख्या 7 से 10 को बेचान कर दी जबकि वादीगण विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है । अतः वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण द्वारा समयावधि में जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 29.10.1991 को प्रतिवादीगण का जवाबदावा बंद किया गया । इसके पश्चात् प्रतिवादीगण

संख्या 1 लगायत 6 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.1992 को पेश किया, जो अस्वीकार किया गया किन्तु न्यायहित में मुकदमें की कार्यवाही में व आगे भी भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार की और से जवाबदावा पेश किया गया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने वाद में तीन तनकीयात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.1996 के द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया जिसके विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2003 के द्वारा अपीलांटस की अपील मियाद एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज की है ।

8— बहस के दौरान अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटस एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 7 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि जोनाथन से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सन् 1988 में क्रय की गई थी । इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 199 व 200 के अन्य व्यक्ति भी खातेदार है जिन्हें वाद में पक्षकार नही बनाया गया है । ऐसी स्थिति में वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के आधर पर भी निरस्त योग्य था ।

9. इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.1991 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का जवाबदावा बंद किया गया है । तत्पश्चात् दिनांक 07.10.1992 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पुनः खोले जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसका वादी द्वारा जवाब पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 16.03.1993 के द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते जवाबदावा खोले जाने निरस्त किया किन्तु साथ में न्यायहित में मुकदमें की कार्यवाही में आगे भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान की है । विचारण न्यायालय की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस का जवाबदावा बंद करने से वे विचारण न्यायालय के समक्ष समुचित रूप से अपना पक्ष नहीं रख सके तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने कथनों को साबित नहीं कर पाये थे । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत

है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिये । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 199 व 200 के गोकुल, हरजी, हगामा, नानू पि0 गोपी के अलावा अन्य व्यक्ति भी खातेदार थे किन्तु उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है । उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलीय न्यायालय ने भी उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट की अपील को निरस्त किया है जिसे भी विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः परीक्षण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2003 एवं सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.1996 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । न्यायहित में विचारण न्यायालय को यह भी निर्देश दिये जाते है कि चूंकि प्रकरण काफी पुराना है, अतः प्रकरण में दिन—प्रतिदिन की पेशी नियत कर शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष